न्यायालय श्री मान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट

रीवा जिला रीवा म0प्र0

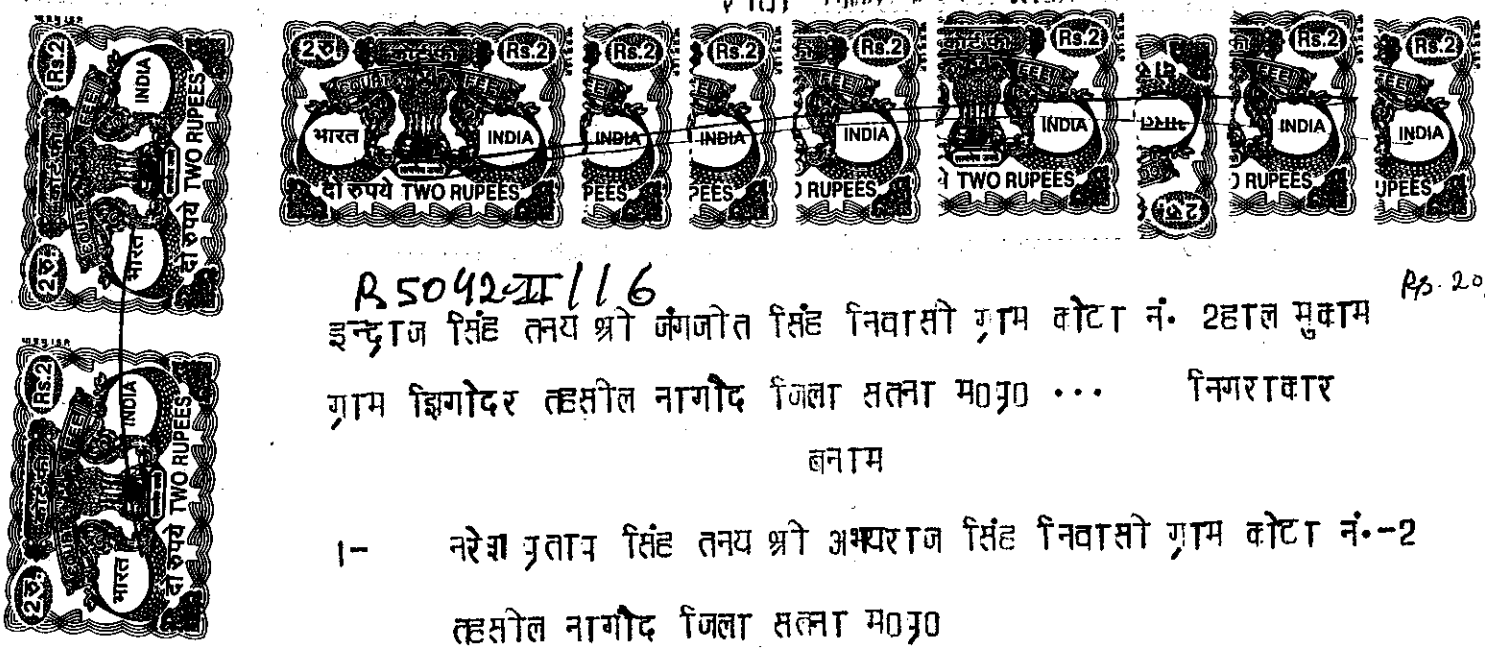

R 5042-III/16 Rs. 20/

इन्द्राज सिंह तनय श्री जंगजीत सिंह निवासी ग्राम कोटा नं. 2हाल मुकाम ग्राम झिगोदर तहसील नागौद जिला सतना म0प्र0 ... निगरानीकार

बनाम

1- नरेश प्रताप सिंह तनय श्री अभयराज सिंह निवासी ग्राम कोटा नं.-2 तहसील नागौद जिला सतना म0प्र0

2- शिवराज सिंह तनय श्री देवराज सिंह

3- सुखेन्द्र सिंह तनय श्री देवराज सिंह

4- बेवा सुन्दर पाल सिंह पत्नी श्री देवराज सिंह सभी निवासी ग्राम कोटा नं.-2 तहसील जिला सतना म0प्र0 .. गैर निगरानीकार

श्री. जसराम विश्वकर्मा एड के द्वारा आज दिनांक 28.1.16 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध न्यायालय अपर आयुक्त महोदय संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 890/अपील/13-14 मे पाणित आदेश दिनांक 28.11.15

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू. राजस्व संहिता 1959 ई0

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

मान्यवर,

निगरानी कर्ता की निगरानी निम्नानुसार है

- - - - - - - - - - - - - - - -

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :- यह कि भूमि खसरा क्रमांक 160, 184, 185, 186, 183, 182, 614, 19, 21 कुल किता 9 कुल रकवा 2.13 62 हे0 स्थित ग्राम कोटा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निग0 5042–दो/2016 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश इन्द्रराज सिंह विरूद्ध नरेन्द्र प्रताप सिंह	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–11–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री जसराम विश्वकर्मा उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक 890/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 23.12.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि विचारण न्यायालय तहसीलदार नागौद ने विवादित भूमियों के संबंध में वारिसाना नामांतरण आदेश दिनांक 28.10.89 को पारित किया था जिसकी जानकारी अनावेदकगण को भलीभांति थी तथा नामांतरण में सहमति भी दी गयी थी, इसके बाद अनावेदकगण द्वारा मुझे परेशान करने की नियत से लगभग 28 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो अवधिवाह्य थी। इसके अतिरिक्त आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपन तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा अपील प्ररण को प्रत्यावर्तित किया गया है जवकि अपील प्रत्यावर्तित नहीं की जा सकती प्रत्यावर्तित कर कानूनी भूल की गयी है। इसके अतिरिक्त उन्हीं बातो को दुहराया गया जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन पर विचार किया जा रहा है किन्तु उन्हें यहां पुनरांकित नहीं किया जा रहा है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संबंध में निगरानी मेमों के संलग्न आक्षेपित आदेश दिनांक 23.12.15 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश इन्द्रराज सिंह विरूद्ध नरेन्द्र प्रताप सिंह	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा अपील प्रकरण में प्रश्नाधीन आदेश पारित कर प्रकरण तहसीलदार को उभयपक्ष को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर प्रदान कर मौके एवं अभिलेखों की स्थिति के अनुसार गुणदोष के आधार पर निर्णय करने के निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है, जो शासन नियमो के विपरीत होकर संहिता में निहित प्रावधानों के विपरीत है।

इस संबंध में नवीन संशोधन दिनांक 30.12.2011 के अनुसार संहिता की धारा 49(3) में यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित किया गया है कि "पक्षकारों को सुनने के पश्चात अपील प्राधिकारी उस आदेश की जिसके कि विरूद्ध अपील पेश की गयी है, पुष्टि कर सकेगा, उसके फेरफार कर सकेगा,या उसे उलट सकेगा या ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जैसा कि आदेश पारित करने के लिए वह आवश्यक समझेः

परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा मामले को निपटाने के लिए प्रतिप्रेषित नहीं करेगाः"।

उपरोक्त प्रकरण में प्रश्नाधीन आदेश जारी कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय तहसीलदार को प्रत्यावर्तित कर कानूनी भूल की गयी है जो किसी भी स्थिति में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपर आयुक्त का उक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 23.12.2015 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उभय पक्ष को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए संहिता में निहित

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश इन्द्रराज सिंह विरूद्ध नरेन्द्र प्रताप सिंह	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में गुणदोष के आधार पर विधिसंगत आदेश पारित करें।

उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तार पर समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि. हो।

सदस्य